बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

पत्रांक : बु0वि0/सम्ब/2022/अना0/3529-35 दिनांक : 10/02/2022

अनापत्ति

शासनादेश संख्या-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांक-09/8/2012 के अन्तर्गत गठित अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक 10/02/2022 में लिये गये निर्णयानुसार **दशरथ महाविद्यालय, बहेरी, बांदा** को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कला संकाय में स्नातक स्तर पर बी0ए0 अतिरिक्त विषय- भूगोल, शिक्षाशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों/पाठ्यक्रमों में अनापत्ति हेतु संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त एवं शासनादेश संख्या- 772/ सत्तर- 2- 2016 (116)/2015 टी0सी0-II दिनांक 22/12/2016 के अनुपालन में महाविद्यालय द्वारा भूमि के सम्बन्ध मे प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों पर अनापत्ति प्रदान की जाती है :-

1. पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में दर्शायी गयी ग्राम बहेरी परगना व तहसील नरैनी जिला बाँदा मे स्थित गाटा संख्या 969 रकवा 0.3240, गाटा संख्या 965 रकवा 0.498, गाटा संख्या 966 रकवा 0.287 कुल 03 किता रकवा 1.109 हे0 भूमि पर निर्मित भवन मे ही किया जायेगा। अन्य भूखण्ड या स्थान पर संचालित किये जाने पर यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
2. यह अनापत्ति उक्त शासनादेश संख्या- 772/ सत्तर- 2- 2016 (116)/2015 टी0सी0-II दिनांक 22/12/2016 के अनुपालन में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक-18/12/2020 तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रपत्रों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि इसमें भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि/परिवर्तन विसंगति प्रकाश में आती है तो प्रदत्त अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिये सचिव/प्रबन्धक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
3. महाविद्यालय के नाम भूमि के विधितः अंकित होने एवं भूमि/गाटों की संयुक्तता आदि मे विसंगति की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।
4. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्था शासनादेश संख्या- 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002 दिनांक- 27/09/2002, शासनादेश संख्या- 3411/ सत्तर-2-2002-2(166)/2002 दिनांक- 11.10.2002, शासनादेश संख्या- 193/सत्तर-2-2003-2(166)/2002 दिनांक-13.01.2003, शासनादेश संख्या-585 मु0म0/सत्तर-2-2005-2(166)/2002, दिनांक- 21.10.2005, शासनादेश संख्या-- 743 मु0मं /सत्तर-2-2006-2(166)/2002 दिनांक- 07/11/2006, शासनादेश संख्या- 1140/ सत्तर - 3 - 2009, दिनांक-10.07.2009, शासनादेश संख्या-1528 / 79 - 6 - 2008, दिनांक- 20.07.2009, शासनादेश संख्या - 4070/सत्तर-2- 2011 -16(686)/2011, दिनांक-20.04.2012 तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानको के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जायेगी।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

पत्रांक : बु०वि०/सम्ब/2022/3116/3529-35 दिनांक : 16/02/2022

5. उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) के मूल अधिनियम की धारा 37(2) मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार **"कार्य परिषद सम्बद्धता की ऐसी शर्तो को जो विहित की जायें, पूरा करने वाले महाविद्यालयों को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढा सकेगी"** विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात ही उक्त पाठ्यकम प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यकम मे प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

6. पाठ्यकम के संचालन पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। संस्था भविष्य मे भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो विश्वविद्यालय और न ही राज्य सरकार से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई देनदारी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की होगी।

(विनय कुमार सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बांदा।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी ।
4. प्रबंधक/सचिव, **दशरथ महाविद्यालय, बहेरी, बांदा।**
5. निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. डा0 दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट।
7. आदेश पंजिका।

कुलसचिव

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :– बु0वि0 / सम्ब0 / 2022 / 4125 दिनांक 13/8/2022

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय(द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) की धारा 37(2)के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा दिनाक 19.05.2022 एवं कार्यपरिषद की तत्सम्बन्धी अनुमति की प्रत्याशा मे कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 19.05.2022 के अनुपालन मे दशरथ महाविद्यालय, बहेरी, बांदा को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0–अतिरिक्त विषय–(भूगोल, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान) पाठ्यक्रम / विषयों में दिनांक 01.07.2022 से आगामी तीन वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

1. संस्था / महाविद्यालय के सम्बन्ध मे इगित कमियों (यथा पाठ्यकम के शिक्षक अनुमोदित नही है, अग्निशमन प्रमाण पत्र नवीनतम वांछित है आदि) की पूर्ति कर परिनियम में उल्लिखित व्यवस्था अनुरूप समयान्तर्गत कक्षा संचालन (Starting the class) की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
2. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. **यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नही है।** परिनियम की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन **(Starting the Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अध्ययन / अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।**
4. संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम / परिनियमावली मे वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णत एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा मे उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था / महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार–कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित / कार्यरत् शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।
7. प्रत्येक वर्ष AISHE के PORTAL पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाऐं अपलोड कराना अनिवार्य होगा।
8. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या.61859 / 2012 मे पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन मे मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2 (650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। कक्षा संचालन पूर्व संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदन कराते हुए नियुक्ति, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।
9. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशो का पालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या 421 / सत्तर–1–2015–16(20) / 2011 दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार प्रवेश प्रकिया सुनिश्चित की जायेगी।
11. संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

12- College must take Sincere intrest and ensure accreditation from NAAC, Bangalore on a priority basis.

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्धक, दशरथ महाविद्यालय, बहेरी, बांदा।
2. परीक्षा नियंत्रक, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
3. श्री सतीष सरसैया, आशुलिपिक, सम्बद्धता विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र शासन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

कुलसचिव